RESEARCHERID
THOMSON REUTERS

[FRTSSDS- June 2018]
DOI: 10.5281/zenodo.1302278

ISSN 2348 – 8034
Impact Factor- 5.070

GLOBAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND RESEARCHES

सागर जिला में 'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' अपराधों की घटना में समय का प्रभाव :एक विश्लेषण

Dr. Vivek Mehta
Depat. of Criminology & Forensic Science, Dr. Harisingh Gour Central University, Sagar (M.P.), India

शोध सारांश

समय होत बलवान' जैसी कहावतें स्वयं चरितार्थ होती हैं। जिसका मनुष्य से गहरा संबंध है। मनुष्य जीवन व्यावहारिक विविधताओं से ओतप्रोत है और उसके व्यवहार के मानदण्ड सांस्कृतिक लक्ष्यों के साथ सामाजिक मूल्य, समाज के आदर्श, प्रतिमान, कानून, रीति–रिवाज, परम्परा, आचार संहिताओं आदि से प्रेरित हैं। शिक्षा, धर्म, परिवार, समूह, संस्था, समुदाय और हमारा समाज विभिन्न परिस्थितियों में समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा हरेक व्यक्ति को समाज के अनुरूप एवं योग्य ढ़ालने का सतत् एवं भरसक प्रयास करते हैं। अपराध के कारणात्मक अनेकानेक कारक एक व्यक्ति को असमान्य, विचलित या अपराधी व्यवहार में संलिप्त होने को अभिप्रेरित करते हैं जिसे व्यक्ति अपने समाज में ही सीखता है। सदरलैण्ड ने भी कहा है, "अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है।" हत्या तथा हत्या का प्रयास ऐसे गम्भीरतम् अपराध हैं जो मनुष्य को मनुष्यता के परे धकेलने एवं समूचे समाज को विघटित होने की दिशा एवं दशा को इंगित करते हैं। यह सब समय का ही फेर है कि मनुष्य न चाह कर भी आपराधिक दिशाओं की ओर अग्रसर एवं दशाओं में संलग्न हो जाता है। प्रस्तुत शोधपत्र में अपराध और समय के सहसंबंधो को केन्द्रित किया गया है।

कुंजी शब्द : *हत्या, हत्या का प्रयास, समय, अपराध, पुलिस।*

I. प्रस्तावना

प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान तक समग्र दृष्टिपात किया जाये तो मानवीय व्यवहार का सतत् परिवर्तित स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री 'अरस्तु' ने कहा है, "मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है"।[1] समाज के पूर्ण मनोयोग से व्यक्तियों के समाजीकरण की प्रक्रिया के उपरांत भी कुछ व्यक्ति असामाजिक कार्यों के प्रति उद्वेलित होते हैं। उनका प्राणी होने के कारण उन्हें आक्रोश, संवेगात्मक अस्थिरता, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद आदि व्याधियाँ सामाजिक होने में बाधा उत्पन्न करती हैं और असमाजिक, विचलित, असमान्य या अपराधी व्यवहार करने हेतु उत्प्रेरित करता है। समय होत बलवान, जैसी कहावतें स्वयं चरितार्थ होती हैं। जिसका मनुष्य से गहरा संबंध है। मनुष्य जीवन व्यावहारिक विविधताओं से ओतप्रोत है उसके व्यवहार के मानदण्ड सांस्कृतिक लक्ष्यों के साथ सामाजिक मूल्यों, समाज के आदर्शों, प्रतिमानों, कानूनों, रीति–रिवाजों, परम्पराओं, आचार संहिताओं आदि से प्रेरित हैं। शिक्षा, धर्म, परिवार, समूह, संस्था, समुदाय और हमारा समाज विभिन्न परिस्थितियों में सामाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा हरेक व्यक्ति को समाज के अनुरूप एवं योग्य ढालने का सतत् एवं भरसक प्रयास करते हैं। अपराध के अनेकानेक कारणात्मक कारक एक व्यक्ति को असामान्य, विचलित, असामाजिक या अपराधी व्यवहार में संलिप्त होने को उत्प्रेरित करते हैं जिसे व्यक्ति अपने समाज में ही सीखता है। सदरलैण्ड ने भी कहा है, ''अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है।''[2] 'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' ऐसे गम्भीरतम् अपराध हैं जो मनुष्य को मनुष्यता से परे धकेलने एवं समूचे समाज को विघटित होने की दिशा एवं दशा को इंगित करते हैं। यह सब समय का ही फेर है कि मनुष्य न चाहकर भी आपराधिक दिशाओं की ओर अग्रसर एवं दशाओं में संलग्न हो जाता है। निःसंदेह कोई नहीं जानता कि 'हत्या' या 'हत्या का प्रयास कब, क्यों, कहां, कैसे, किसने, किसका किया अपितु तथ्य इस दिशा में अवश्य ही समझने के लिये अवगत करवाते हैं जिनका गहरा संबंध समय से है। 'हत्या एवं 'हत्या का प्रयास अपराध किस समय हुआ यह अध्ययन विषय का केंद्र बिंदु है।

II. साहित्य सर्वेक्षण

'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' को समझने के लिए सम्बद्ध साहित्य के आधार पर निम्न बिन्दुओं पर ध्यानाकर्षण आवश्यक है।
भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16 में मानव शरीर से संबंधित विभिन्न अपराधों के संदर्भ में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत परिभाषाएँ, दृष्टांत एवं दण्ड विधानों की व्याख्या की गयी है। भा. दं. संहिता 1860 की धारा 299 में गैर इरादतन हत्या, धारा 300 में 'हत्या', धारा 302 में हत्या के लिए सजा, धारा 307 में 'हत्या का प्रयास' आदि का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया गया है।

धारा 300.'हत्या'

एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा –यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गयी है, अथवा

तीसरा – यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा

[FRTSSDS- June 2018] ISSN 2348 – 8034
DOI: 10.5281/zenodo.1302278 Impact Factor- 5.070

चौथा – यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरि अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप से क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

अपवाद 1 –
आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है– आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गम्भीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे।
ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परन्तुकों के अध्यधीन है –
पहला –यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिये अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में इप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो।
दूसरा –यह किवह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक–सेवक द्वारा ऐसे लोक–सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।
तीसरा –यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।
स्पष्टीकरण –प्रकोपन इतना गम्भीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटी में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है।

अपवाद 2
आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी, शरीर या सम्पत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावनापूर्वक प्रयोग में लाते हुये विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण न कर दे, और पूर्व चिन्तन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो।

अपवाद 3
आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए, या लोक सेवक को मदद देते हुए, जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाये, और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्त्तव्य के सम्यक् निर्वहन के लिये आवश्यक होने का सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी की मृत्यु कारित की गई है, वैमन्स्य के बिना मृत्यु कारित करे।

अपवाद 4
आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाये बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया हो।
स्पष्टीकरण –ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है।

अपवाद 5
आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाये अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे, या मृत्यु की जोखिम उठाये।

धारा 307.हत्या करने का प्रयास
जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा एतस्मिन् पूर्व वर्णित है।

प्राचीन भारत में हत्या के अपराध–

- समय चक्र को विलोम घुमाये तो 'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' जैसे गम्भीरतम् अपराध के संदर्भ में प्राचीन भारतीय मनीषियों ने उस युग की सामाजिक व्यवस्थानुरूप जिन मानदण्डों को स्थापित किया था आज भी विचारणीय है। भारत वर्ष में दण्ड व्यवस्था प्राचीन ग्रन्थों में वर्णित सामाजिक दशाओं के आधार पर उल्लेखित है। **वैदिक युग,** पूर्व–बौद्धिक युग में न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। भारतीय दण्ड व्यवस्था के विकास में स्मृतियों का सर्वाधिक महत्व है। इन स्मृतियों में **मनुस्मृति** का स्थान सर्वोपरि है। डॉ. सेथना ने मनुस्मृति में 'व्यवहार–कानून' और 'अपराधी कानून' दोनों के संदर्भ में वर्णन किया है। **सूत्र साहित्य** के अध्ययन में हत्या के अपराध के लिए सिर्फ जुर्माने का दण्ड था। क्षत्रिय की हत्या करने वाले को 1000 गाएँ, वैश्य की हत्या करने वाले को 100 गाएँ और शूद्र की हत्या करने वाले को 10 गाएँ, जुर्माने के रूप में देनी पड़ती थीं। हत्या के साथ चोरी और लूट दो प्रकार के आर्थिक अपराध पाए जाते थे। **बृहस्पति** ने चार प्रकार के अपराधों का वर्णन किया है जिसमें हत्या या पितृहत्या का उल्लेख मिलता है।[4]
- **कौटिल्य** के अर्थशास्त्र में उस समय अनेक अपराधों के लिए प्राणदण्ड की सजा का प्रावधान था। झगड़े में यदि घायल व्यक्ति की 7 दिन के अन्दर मृत्यु हो जातीथी, तो भी दूसरे व्यक्ति को प्राणदण्ड की सजा दी जाती थी। माता–पिता, भाई–बहिन या परिवार के अन्य व्यक्तियों की हत्या करता था, उसे जिंदा जला दिया जाता था। जो स्त्री अपने पति या पुत्रों की हत्या करती थी, उसे साँड से फड़वा दिया जाता था।[5]

[FRTSSDS- June 2018] ISSN 2348 – 8034
DOI: 10.5281/zenodo.1302278 Impact Factor- 5.070

- प्राचीन भारतीय पद्धतियों में ज्योतिषीय गणनाओं में विपल, पल, दिनमान, तिथि, पक्ष, मास, संवत्सर, राशि, ग्रह, नक्षत्र, जन्म कुण्डली, चन्द्रकुण्डली, सूर्यकुण्डली, नाभिकुण्डली, होरा चक्र, युगाब्ध, युग, महायुग, मन्वन्तर आदि काल गणना के मुख्य आधार थे। शादी–विवाह, तीज–त्यौहार, शुभ कार्य, खेती में बोनी–बखरनी, हिन्दु धर्म के 16 संस्कार, यहां तक किगर्भाधान का भी ऋषि–मनीषि समय निर्धारित करते थे। श्रीमद्भगवतगीता जी में श्रीकृष्ण ने भी समय को आधार मानकर कहा है[6]

यदा–यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।।7।।
अर्थात् – हे भारतवंशी ! जब भी (समय) और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ।

- Lacassagne (लैकेसन) के द्वारा गर्मी का समय, ठण्ड का समय (ऋतु) के आधार पर अपराधी कलेण्डर में गर्मी मे मानव के विरुद्ध अपराध तथा सर्दियों में सम्पत्तियों के विरुद्ध अपराध की व्याख्या की गयी।[7]
- फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यूनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका के यूनिफार्म क्राइम रिपोर्ट्स में भी मौसमी परिवर्तन तथा विभिन्न प्रकार के अपराधों के बीच एक निश्चित सहसम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। प्रतिवेदन में यह अंकित है कि सबसे अधिक हत्याओं की आवृत्ति जुलाई में मिलती है तथा घटते–घटते जनवरी में सबसे कम मिलती है। पुनः फरवरी में बढ़ती जाती है और जुलाई में सर्वाधिक मिलती है। इसी प्रकार लूट, सेंधमारी एवं मोटरगाड़ियों की चोरी जैसे सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों की आवृत्ति जाड़े के मौसम में बढ़ जाती है तथा ग्रीष्म मौसम में घट जाती है। इसके अतिरिक्त लूटमार के अपराधों की संख्या दिसम्बर माह में सबसे अधिक हो जाती है तथा जनवरी से घटते घटते जुलाई में सबसे कम मिलती है और बढ़ती है। [8]
- वेर्क्को तथा रोजनर एंव लिमैरे आदि विद्वानों ने कुछ विशिष्ट प्रकार के अपराधों तथा उनके घटित होने वाले साप्ताहिक दिनों के मध्य एक सहसम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया है।[9]
- दिन की प्रत्येक अवधि के दौरान किए गए अपराधों की संख्या के संदर्भ में वेर्क्को ने सांख्यिकीय ढंग से अत्यन्त सावधानी पूर्वक विश्लेषित किया है। उनके अनुसार घातक आक्रमण एवं अन्य गम्भीर हिंसात्मक अपराध सांध्यकाल के उत्तरार्ध घण्टा में घटित होतें हैं, जबकि साधारण मानव हत्याएँ प्रातः काल तथा दिन में घटित होती हैं।[10]

उपरोक्त समस्त चिंतन वर्तमान में 'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' के अपराधों का समय के साथ गहरा संबंध होने की दिशा में अध्ययन की आवश्यकता पर बल देते है।

अध्ययन के उद्देश्य
प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निरूपित किये गये हैं–

- 'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' जैसे गम्भीरतम् अपराधों में समय के प्रभाव को परिलक्षित करना।
- 'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' अपराधों की साँख्यिकी आधार पर विवेचना करना।
- 'हत्या तथा ' हत्या का प्रयास' जैसे गम्भीरता अपराधों के प्रति समय के आधार पर पुलिस विभाग एवं जनमानस में चेतना का भाव जागृत करना।

उपकल्पना
प्रस्तुत शोध पत्र मे अध्ययन हेतु निम्नलिखित उपकल्पनाओं को आधार बनाया गया है–

- 'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' के अपराधों पर समय का बहुत गहरा प्रभाव होता है।
- एक निश्चित कालखण्ड में 'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' के अपराध अधिक होते हैं।

III. शोध का अध्ययन क्षेत्र

सागर जिले की 32 पुलिस स्टेशन के क्षेत्र को शोध अध्ययन के क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है। 'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' के अपराध जहां घटित हुए उनसे संबंधित सम्पूर्ण सागर जिला को अध्ययन क्षेत्र में समाहित किया गया है।

निदर्श
सागर जिला के समस्त पुलिस स्टेशन में हुए 'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' के वर्ष 2014, 2015 तथा 2016 मे हुए 467 दर्ज प्रकरणों को शोध अध्ययन में निदर्श के रूप में शामिल किया गया है। प्रत्येक दर्ज प्रकरण के आधार पर 'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' की घटना का समय उद्देश्यात्म निदर्श के रूप में निर्धारित किया गया है।

तथ्य संकलन की प्रविधि–
सागर जिला में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सागर से वर्ष 2014, 2015 तथा 2016 में सम्पूर्ण जिला के 32 थाना क्षेत्रों में घटित 'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' के 467 अपराधों का समय, तथ्य के रूप में संकलित किया गया है। तथ्यों को सांख्यिकी पद्धति द्वारा विश्लेषित कर निष्कर्षों को प्राप्त किया गया है। एक दिन–रात के 24 घण्टों को आठ पहर के आधार विभक्त कर अपराधों के समय को श्रेणीबद्ध किया गया है।

मुख्य अध्ययन विश्लेषण –अपराध के कारणात्मक कारकों की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण कारक 'समय' का भी महत्व है। एक दिन–रात अर्थात 24 घण्टे में 8 पहर ज्योतिषीय गणना के आधार हैं। 'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' के अपराध इन 8 पहर में सर्वाधिक किस पहर में हुए इसे सन् 2014, 2015 तथा 2016 में सागर जिले की सभी 32 पुलिस स्टेशनों से तथ्यों को समय के रूप में संग्रहण कर 8 पहरों में विभक्त किया। आश्चर्यजनक किंतु सत्य परिणाम और निष्कर्ष प्राप्त हुए। सन् 2014, 2015 तथा 2016 में सागर जिला में हुए कुल 467 अपराध 'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' के हुए

[FRTSSDS- June 2018] ISSN 2348 – 8034
DOI: 10.5281/zenodo.1302278 Impact Factor- 5.070

जिन्हें पृथक–पृथक तथाएक साथ दोनों ही स्थितियों मे विश्लेषित किया जा सकता है। साथ ही सांख्यिकीय आधार पर भी विश्लेषित करने का प्रयत्न किया है।

IV. सांख्यिकीय आधार पर विश्लेषण

सारणी (1) में सागर जिला में हत्या तथा हत्या का प्रयास के अपराधों में सन 2014 में Mean 8.75, सन् 2015 में Mean 9.438 तथा सन् 2016 में Mean11 है। इसी तरह Std. Deviation 2014में 7.416, सन् 2015 में 8.382 तथा सन् 2016 में 8.3 है। उपरोक्त तीनों सत्रों में हत्या तथा हत्या का प्रयास अपराधों में Std. Error सन् 2014 में 1.854, सन् 2015 में 2.096 तथा सन् 2016 में 2.07 है।

तलिका क्रमांक–1

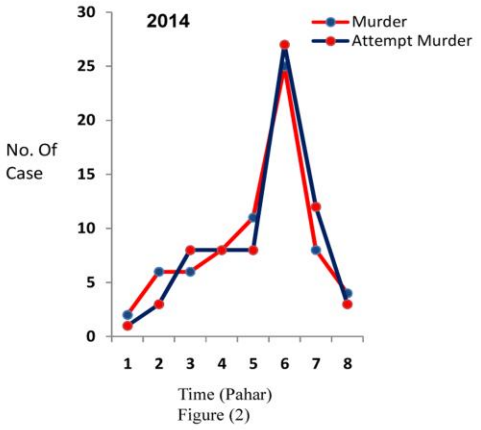

Figure (2)

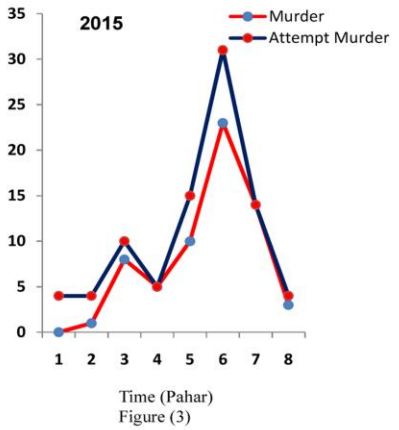

Figure (3)

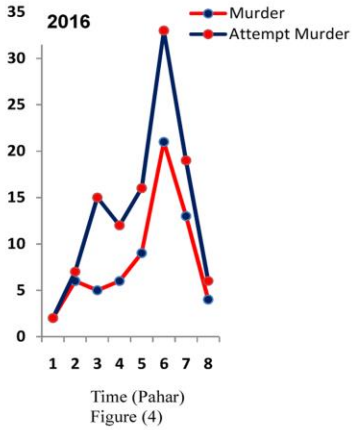

Figure (4)

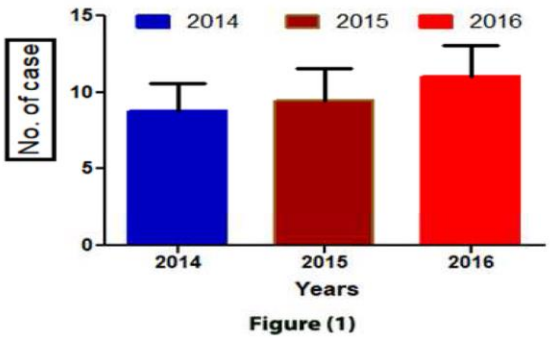

Figure (1)

Year	2014	2015	2016
Mean	8.75	9.438	11
Std. Deviation	7.416	8.382	8.3
Std. Error	1.854	2.096	2.07

Table (1)

यदि हम Figure (1) पर दृष्टिपात करें तो सत्र 2014 की तुलना में सन 2015 तथा बढ़ते क्रम में सन् 2016 में हत्या तथा हत्या का प्रयास के अपराध सागर जिले में क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में हैं, जिन्हें Figure (2), (3) तथा (4) में बिंदुरेखीय ग्राफ के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

Figure(2), (3) तथा (4) में X Axis पर एक दिन रात के 24 घण्टा को 8 पहर में दर्शाया गया है तथा Y Axis पर हत्या तथा हत्या का प्रयास अपराधों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है। सन् 2014 की तुलना में सन् 2015 में तथा सन् 2015 की तुलना में 2016 में सागर जिले में हत्या तथा हत्या का प्रयास के अपराध क्रमशः बढ़े हैं। साथ ही च्मां भ्वनते जिनमें सागर जिलें में सर्वाधिक हत्या तथा हत्या का प्रयास के अपराध हुए हैं उसमें 2014, 2015 तथा 2016 तीनों सन् में षष्टम पहर अर्थात शाम 6 से 9 का है। उपरोक्त विश्लेषण समय और अपराध के सहसंबंध को प्रदर्शित करता है।

सरणी (2) में सागर जिले में हत्या तथा हत्या का प्रयास के अपराध सन् 2014 में कुल 140 हुए। इनमें 70 अपराध हत्या तथा 70 अपराध हत्या का प्रयास के हुए। इनमें षष्ठम् पहर अर्थात् 6 से 9 PM सर्वाधिक 52 अपराध जिसमें 25 हत्या तथा 27 हत्या का प्रयास के अपराध हैं जो कि उक्त वर्ष

[FRTSSDS- June 2018] ISSN 2348 – 8034
DOI: 10.5281/zenodo.1302278 Impact Factor- 5.070

में कुल अपराधों का 37.142% हैं। यदि सप्तम पहर अर्थात् 9 से 12 PMपर ध्यान आकर्षित करें तो हत्या तथा हत्या के प्रयास के 20 जिसमें 8 हत्या तथा 12 हत्या का प्रयास के अपराध घटित हुए हैं जो उस सत्र के कुल अपराधों का 14% है। इसी तरह पंचम पहर अर्थात् 3 से 6 PM में उस सत्र में हुए हत्या तथा हत्या का प्रयास के कुल अपराधों में 19 जिसमें 11 हत्या तथा 8 हत्या का प्रयास के अपराध अर्थात् 13.571% है। षष्टम् पहर तथा सप्तम् पहर अर्थात् 6 से 12 PM के समय हुए हत्या तथा हत्या का प्रयास के कुल अपराधों की उस सत्र में हुए कुल अपराधों से तुलना की जाये तो एक बड़ा प्रतिशत अर्थात् 51.428% हत्या तथा हत्या का प्रयास के अपराध घटित हुए हैं। इसी तरह पंचम्, षष्टम् तथा सप्तम् पहर अर्थात् 3 से 12 PM में उस सत्र में हुए कुल अपराधों का सबसे बड़ा भाग 91 अपराध हत्या तथा हत्या का प्रयास के अर्थात् 65% अपराध केवल 3 पहर में ही हुए हैं। यह परिणाम स्वयं सिद्ध है जो हत्या तथा हत्या का प्रयास के अपराधों का समय से बहुत गहराई से संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं। शेष अन्य पहरों में क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं अष्टम् पहर में 3, 9, 14, 16, तथा 7 कुल 49 अपराध अर्थात् उस सत्र के कुल अपराध का मात्र 35% ही हत्या तथा हत्या के प्रयास के अपराध घटित हुए हैं। जो पंचम्,षष्टम् तथा सप्तम् पहर की तुलना में बहुत कम प्रतिशत है।

सन् 2015 में सागर जिला में सभी 32 पुलिस थाना क्षेत्रों में हत्या तथा हत्या का प्रयास के कुल 151 अपराध घटित हुए जिनमें 64 हत्या तथा 87 हत्या का प्रयास के अपराध घटित हुए। षष्टम पहर अर्थात् 6 से 9 PM में कुल अपराधों में से 54 अपराध जिनमें 23 हत्या तथा 31 हत्या का प्रयास के अपराध हुए। यह कुल अपराधों का 35.761% भाग है। सप्तम् पहर में अर्थात् 9 से 12PM में 28 जिनमें 14 हत्या तथा 14 हत्या का प्रयास के अपराध घटित हुए जो कुल अपराधों का 18.543% है। पंचम पहर अर्थात् 3 से 6 PM में 25 अपराध जिनमें 10 हत्या तथा 15 हत्या का प्रयास के अपराध घटित हुएजो कुल अपराधों का 16.556% भाग है। उपरोक्त दो पहर यथा षष्टम् तथा सप्तम् पहर में अर्थात् 6 से 12 PM में कुल अपराधों में 82 अपराध हत्या तथा हत्या का प्रयास के अपराध इस सत्र में घटित हुए जो कुल अपराधों का बहुत बड़ा भाग अर्थात् 54.304% है। इस सत्र में पंचम्, षष्टम् तथा सप्तम् पहर अर्थात् 3 से 12 PM में हुए कुल हत्या तथा हत्या का प्रयास के अपराधों की संख्या 107 है जो कुल अपराधों का 70.860% है जो कि एक बहुत बड़ा भाग है और अपराध तथा समय के गहरे संबंध की ओर इशारा करता है। शेषअन्य पहरों यथा– क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं अष्टम् पहर में क्रमशः 4, 5, 18, 10, तथा 7 अर्थात कुल 44 अपराध हत्या तथा हत्या का प्रयास के हुए जो कि कुल अपराध का मात्र 29. 139% है जो पंचम, षष्टम् तथा सप्तम पहर की तुलना में बहुत कम प्रतिशत है।

सागर जिला में 'हत्या' तथा 'हत्या का प्रयास' अपराधों का समय के आधार पर विश्लेषण (सारणी क्रमांक 02)

क्रमांक	पहर / अपराध / सन्	प्रथम पहर 3–6 PM		द्वितीय पहर 6–9 AM		तृतीय पहर 9–12 AM		चतुर्थ पहर 12–3 PM		पंचम पहर 3–6 PM		षष्ठम् पहर 6–9 PM		सप्तम् पहर 9–12 PM		अष्टम् पहर 12–3 AM		कुल अपराध
		हत्या	हत्या का प्रयास	हत्या	हत्या का प्रयास	हत्या	हत्या का प्रयास	हत्या	हत्या का प्रयास	हत्या	हत्या का प्रयास	हत्या	हत्या का प्रयास	हत्या	हत्या का प्रयास	हत्या	हत्या का प्रयास	
1	2014	2	1	6	3	6	8	8	8	11	8	25	27	8	12	4	3	70+70
		03		09		14		16		19		52		20		07		140
2	2015	0	4	1	4	8	10	5	5	10	15	23	31	14	14	3	4	64+87
		04		05		18		10		25		54		28	07		151	
3	2016	2	2	6	7	5	15	6	12	9	16	21	33	13	19	4	6	66+110
		04		13		20		18		25		54		32	10		176	
		4	7	13	14	19	33	19	25	30	39	69	91	35	45	11	13	200+267
		11		27		52		44		69		160	80	24		467		
		2.335%		5.781%		11.134%		9.421%		14.775%		34.261%	17.130%	5.139%		100%		
षष्ठम एवं सप्तम पहर – 6 से 12 च्ड												240 – 51.346 %						
पंचम, षष्ठम एवं सप्तम पहर – 3से 12च्ड										309 – 66.167%								

हत्या तथा हत्या का प्रयास से संबंधित अपराध सागर जिला में सन 2016 में कुल 176 घठित हुए। जिनमें हत्या के 66 तथा 110 हत्या का प्रयास के अपराध घटित हुए। षष्टम पहर अर्थात 6 से9 PM में कुल अपराधों में से 54 अपराध जिनमें 21 हत्या तथा 33 हत्या का प्रयास के अपराध घटित हुए यह कुल अपराधों का 30.681%भाग है। सप्तम पहर अर्थात 9 से 12 PM में 32 जिनमें 13 हत्या तथा 19 हत्या का प्रयास के अपराध घटित हुए जो

[FRTSSDS- June 2018] ISSN 2348 – 8034
DOI: 10.5281/zenodo.1302278 Impact Factor- 5.070

कुल अपराधों का 18.181% है। पंचम् पहर अर्थात 3 से 6 PM में 25 अपराध जिनमें 9 हत्या तथा 16 हत्या का प्रयास के अपराध घटित हुए है जो कुल अपराधों का 14.204% है । उपरोक्त संयुक्त दो पहर यथा षष्टम् तथा सप्तम् पहर में अर्थात् 6 से 12 PM में कुल अपराधों में 86 अपराध हत्या तथा हत्या का प्रयास के घटित हुए हैं जो कुल अपराधों का 48.863% है जो कुल घटित अपराधों का बहुत बड़ा भाग है। इस सत्र में पंचम्, षष्टम् तथा सप्तम् पहर में अर्थात 3 से 12 में हुए कुल हत्या तथा हत्या का प्रयास के अपराधों की कुल संख्या 111 है जो सत्र के कुल अपराधों का 63. 068% है जो कि एक बड़े भाग के रूप में अपराध और समय के सहसंबंधों की ओर दिशा निर्देशित कर रहा है। शेष अन्य पहर यथा – क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा अष्टम् पहर में क्रमशः 4, 13, 20, 18 तथा 10 अर्थात् कुल 65 अपराध हत्या तथा हत्या का प्रयास के घटित हुए जो कि कुल अपराध का मात्र 36.931% भाग है जो पंचम्, षष्टम् तथा सप्तम् पहर की तुलना में बहुत कम प्रतिशत है।

सागर जिला में सभी 32 पुलिस थाना क्षेत्रों में हत्या तथा हत्या का प्रयास के सन 2014, 2015 तथा 2016 में घटित कुल अपराध 467 हैं। जिनमें 200 हत्या तथा 267 हत्या का प्रयास के अपराध शामिल हैं। संयुक्त तीनों सत्र में षष्टम् पहर अर्थात 6 से 9 PM में घटित हत्या तथा हत्या का प्रयास के कुल अपराध 160 हैं जिनमें 69 हत्या तथा 91 हत्या का प्रयास के अपराध हैं। जो कि तीनों सत्र के कुल अपराध का 34.261% है। तीनों सत्र में सप्तम् पहर में अर्थात 9 से 12 PM में घटित हत्या तथा हत्या का प्रयास कुल 80 हैं जिनमें 35 हत्या तथा 45 हत्या का प्रयास के अपराध शामिल है। जो कि कुल अपराधों का 17.130% है। इसी तरह तीनों सत्रों में पंचम् पहर अर्थात 3 से 6 PM में हत्या तथा हत्या का प्रयास के कुल अपराध 69 हैं जिनमें 30 हत्या तथा 39 हत्या का प्रयास के अपराध शामिल हैं। तीनों सत्र यथा 2014, 2015 तथा 2016 में संयुक्त दो पहर यथा षष्टम् और सप्तम् पहर अर्थात 6 से 12 PM हत्या तथा हत्या का प्रयास के कुल 240 अपराध घटित हुए जो कुल अपराधों का 51.391% जो एक बहुत बड़ा भाग है और अपराध का समय के साथ सीधा सम्बन्ध प्रदर्शित करता है। इसी तरह तीनों सत्रों में पंचम्, षष्टम् तथा सप्तम् पहर अर्थात 3 से 12 PM में हत्या तथा हत्या का प्रयास के कुल अपराध 309 हैं जो कुल अपराधों का 66.167% अर्थात एक बहुत बड़ा भाग है जो कि अविश्वसनीय किंतु सत्य है और अपराध का समय के साथ सहसंबंध प्रदर्शित करता है। शेष अन्य पहर यथा – प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा अष्टम् पहर में तीनों सत्रों में हत्या तथा हत्या का प्रयास के कुल अपराध की संख्या 158 जो कुल अपराधों का मात्र 33.832% है जो कि बहुत कम है।

V. निष्कर्ष

अपराध के कारणात्मक कारकों में "समय" अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है जैसा कि उपरोक्त विवेचना के आधार पर स्वयंसिद्ध है। सन 2014, 2015 तथा 2016 के सागर जिले के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों से हत्या तथा हत्या का प्रयास के संकलित तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर षष्टम् पहर अर्थात 6 से 9 PM में हत्या तथा हत्या का प्रयास की सर्वाधिक आपराधिक घटनाएँ घटित हुई हैं। इसी क्रम में षष्टम् पहर की तुलना में सप्तम् पहर अर्थात 9 से 12 PM में कुछ कम तथा अन्य पहरों की तुलना में अधिक हत्या तथा हत्या का प्रयास के अपराध घटित हुए हैं। साथ ही पंचम् पहर अर्थात 3 से 6 PM में सप्तम् पहर की तुलना में कम किंतु अन्य पहरों की तुलना में अधिक हत्या तथा हत्या का प्रयास के अपराध घटित हुए हैं। इसी तरह षष्टम् और सप्तम् पहर अर्थात 6 से 12 PM में हत्या तथा हत्या का प्रयास के अन्य पहरों की तुलना में सर्वाधिक अपराध घटित हुए हैं। संयुक्त पंचम्, षष्टम् तथा सप्तम् पहर में सम्पूर्ण आठों पहर के अन्य पहरों की तुलना में अर्थात 3 से 12 PM के समय में सर्वाधिक हत्या तथा हत्या का प्रयास के अपराध घटित हुए हैं जो समय का अपराध से सीधा संबंध प्रदर्शित करता है।

VI. सुझाव

6 से 9 PMपुलिस विभाग तथा आम जनता सावधानी रखे तो हत्या तथा हत्या का प्रयास जैसे अपराधों में कमी लायी जा सकती है।

क्रमशः 6 से 9 PM और इसी क्रम में 9 से 12 PM तथा 3 से 6 PM में पुलिस प्रशासन की सावधानी से हत्या का हत्या का प्रयास जैसे गम्भीर अपराधों की दर कम हो सकती है।

REFERENCES

[1] *अरस्तु (Aristotle), 'पोलिटिक्स', ' यूनान, 349 ईसा. पूर्व*
[2] Sutherlan, E.H, 'Princeples of Criminology', 10th Edition, Lippincott co. Philadelphia, *1978, P. 78*
[3] *बाबेल, बसंतीलाल, भारतीय दण्ड संहिता, पहला संस्करण, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 1977, पेज 219 – 234*
[4] *बघेल, डी.एस., 'अपराधशास्त्र', 7वाँ संस्करण, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 1996, पेज 191 से 194*
[5] *बघेल, डी.एस., 'अपराधशास्त्र', 7 वाँ संस्करण, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 1996, पेज 195*
[6] *श्रीमद्भगवत्गीता, अध्याय 4, श्लोक ।। 7।।*
[7] *बघेल, डी.एस., 'अपराधशास्त्र', 7 वाँ संस्करण, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 1996, पेज 105*
[8] *Uniform crime Reports, Federel Bureau of Investigation, U.S.A. quoted by ;Joseph Cohen in David Dressler's Book Readings in Criominology and penology, Newyork, 1964, P.255*
[9] *Uniform crime Reports, Federel Bureau of Investigation, U.S.A. quoted by ;Joseph Cohen in David Dressler's Book Readings in Criominology and penology, Newyork, 1964, P.251*
[10] *Uniform crime Reports, Federel Bureau of Investigation, U.S.A. quoted by ;Joseph Cohen in David Dressler's Book Readings in Criominology and penology, Newyork, 1964, P.252*